जिला शिक्षा अधीक्षक, सरायकेला–खरसावाँ

:: आवश्यक सूचना ::

शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत शैक्षणिक सत्र 2026–27 के लिए जिले के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों की 25% आरक्षित सीटों पर नामांकन हेतु आवेदन करने वाले सभी अभिभावकों को सूचित किया जाता है कि :

1. प्राप्त आवेदनों की स्क्रूटनी (जांच) के पश्चात अंतिम रूप से पात्र (Eligible) पाए गए आवेदकों के चयन हेतु लॉटरी (Lottery) की प्रक्रिया जिला मुख्यालय में आयोजित की जाएगी।
2. जिन आवेदनों में त्रुटियां पाई गई थीं, उनके विरुद्ध प्राप्त स्पष्टीकरणों के निष्पादन के उपरांत केवल स्वीकृत आवेदनों को ही लॉटरी की प्रक्रिया में शामिल किया गया है।

लॉटरी कार्यक्रम का विवरण :

- दिनांक : 24.04.2026
- समय : अपराह्न 04:00 बजे
- स्थान : जिला शिक्षा कार्यालय (मुख्यालय), सरायकेला–खरसावाँ।

सभी इच्छुक अभिभावक इस चयन प्रक्रिया के दौरान उपस्थित रह सकते हैं। लॉटरी के तुरंत बाद सफल आवेदकों की सूची जिला कार्यालय के सूचना पट्ट एवं RTE पोर्टल/NIC सरायकेला की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी।

जिला शिक्षा अधीक्षक,
सरायकेला–खरसावाँ।